

## समक्ष माननीय अध्यक्ष म.प्र. राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. पी.वी.आर./निगरानी/ /13

ग्रामवासीगण ग्राम खामखेडा तहसील व जिला विदिशा  
द्वारा— सरपंच ग्राम पचांयत खामखेडा तहसील व  
जिला विदिशा

.....आवेदक

विरुद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा— जिलाध्यक्ष विदिशा
- 2.— मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादा विदिशा
3. प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्यादा  
खम्मूखेडी तहसील व जिला विदिशा

.....अनावेदकगण

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(3) की कपिडका 30 सहपठित धारा 50 म.प्र. भू राजस्व  
संहिता के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र. 477/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 01/05/13 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर रहा है।

### :: प्रकरण के तथ्य ::


संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खामखेडा तहसील व जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क्र 160/1 रकवा 2.010 हेक्टर निस्तार पत्रक में खलिहान के रूप में दर्ज है जिसका उपयोग ग्रामवासीयों द्वारा खलिहान के रूप में किया जाता है। अनावेदक क्र 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनावेदक क्र 1 द्वारा

# **XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण नमांक आर. 2078-पीबीआर/13

जिला-विदिशा

स्थान तथा दिनांक	वर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-8-15 कैम्प भोपाल	<p>आवेदक की ओर से श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभि. तथा अना. क. 1 शासन की ओर से कोई उप. नहीं। अना. क. 2 व 3 की ओर से श्री अशोक सेनी, अभि. उप.।</p> <p>आवेदक अभि. इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते। अतः आवेदक के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">१८५</p>  <p>सदस्य</p>	